



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में) CIN : U40109MP2001SGC014880

ब्लॉक नं. 02, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008

Tel.:(0761)2702036,2702041,FaxNo.:(0761)2664450 ,e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

C.E. (Procurement)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur

23 NOV 2020

6842

R.No.

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/उवेमा/पैनल-208/3049 दिनांक: 20/11/2020
आदेश

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/III/3721 दिनांक 30.12.2015, क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/IV/3826 दिनांक 30.11.2017 एवं कंपनी द्वारा ग्राह्य पूर्ववर्ती मप्रराविमं. के परिपत्रों/स्पष्टीकरण/नोटिफिकेशन/आदेशों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षा सैनिकों, को 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत सुरक्षा उप निरीक्षक के पद का समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) वेतन संवर्ग ई-5 बैंड-1 में रु. 5200-20200/- +सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 2900/-, पुनरीक्षित 7वे वेतनमान में वेतन रु0 26600-84200/- का लाभ उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी एवं वह दण्डावधि में नहीं थे।

क्रमांक	नाम एवं पद सर्व श्री	कार्यालय का नाम	उच्च वेतनमान स्वीकृति तिथि
1	2	3	4
1	दीनदयाल दहायत 89048838	स्काडा कंट्रोल सेन्टर संभाग, जबलपुर	18.12.2019
2	जयंत कुमार दुबे 90470038	परीक्षण-संभाग, इटारसी	01.08.2020

समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) की स्वीकृति का लाभ वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

आदेशानुसार,

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/उवेमा/पैनल-208/3052
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 20/11/2020

1. मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार), M0PRO पावर ट्रांस कं. लिमि., जबलपुर।

क्रमश:-2..

2. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) वृत्त, म0प्र0 पावर ट्रांस. कं. लिमि. जबलपुर/भोपाल।
3. कार्यपालन यंत्री (स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर)/(परीक्षण) संभाग, म.प्र पावर ट्रांस कं. लिमि, जबलपुर/इटारसी।
4. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म0प्र0 पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमि0 जबलपुर।
5. क्षेत्रीय लेखाकार्यालय, म0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कं.लिमि., जबलपुर/ भोपाल।
6. श्री....., वरिष्ठ सुरक्षा सैनिक द्वारा मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार), म0प्र0 पॉवर ट्रांस कं. लिमि., जबलपुर।
7. आदेश नस्ती।

—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. वेब मास्टर / ई आर पी एफिमिस्ट्रेटर, आई टी-सेल, म०प्र० ट्रांस. कं० लि०, जबलपुर
आदेश अग्रेषित करने वाले अधिकारी के लिए टीप

- (1) पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय सीमा में पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में ट्रांसको के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) का लाभ वापस ले लिया जावेगा।
- (2) कर्मचारी को, समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) के स्वीकृति की तिथि पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी एवं दण्डावधि में न होना सुनिश्चित होने पर ही आदेश अग्रेषित किया जावे अन्यथा की स्थिति में आदेश टीप के साथ इस कार्यालय को लौटा दिया जावे।
- (3) उपरोक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानांतरित होने की स्थिति में आदेश को इस कार्यालय को वापस न कर उनके संबंधित कार्यालय प्रमुख को उन्हें अग्रेषित करने हेतु भेजें।

अति. मुख्य अभियंता
कार्या.—मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)